

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़**पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 052/2021 (GCMS 2021/52)	दायर दिनांक 20.04.2021	निर्णय दिनांक 25.05.2021
---	---------------------------	-----------------------------

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी**बनाम**

गोपाल कृष्ण सोमानी पुत्र रमेश कुमार सोमानी (विक्रेता/मालिक) मैसर्स गोपाल ऑयल इण्डस्ट्रीज, रीको औद्योगिक क्षेत्र, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज. स्थाई निवासी 225, आदर्श कालोनी, छत्रपति शिवाजी उद्यान के सामने निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) पिनकोड- 312601

अप्रार्थी

--:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::-

--:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ० मदनलाल गूजर ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ० मदनलाल गूजर दिनांक को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहे थे, इनका गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2 (क) के क्रमांक 53 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475/10.08.2011 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक आवंटित किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 821/21.10.2020 के अनुसार दीपावली अभियान के तहत इनका पद



स्थापना दिनांक 26.10.2020 से 14.11.2020 तक इनका कार्यक्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.10.2020 को समय 11:41 एएम पर कस्बा निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज) में मैसर्स गोपाल ऑयल इण्डस्ट्रीज रीको क्षेत्र निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ पर पहुंचा वहाँ पर गोपाल कृष्ण सोमानी उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर गोपाल कृष्ण सोमानी ने स्वयं को मैसर्स गोपाल ऑयल इण्डस्ट्रीज रीको क्षेत्र निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0) का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र बताया जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गोपाल कृष्ण सोमानी उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि में आम जनता को विक्रय करने हेतु मूंगफली तेल खुला, प्रतिष्ठान में ऑयल टैंक में लगभग 360 किलोग्राम मूंगफली तेल खुला वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये, में को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो गोपाल कृष्ण सोमानी को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ. गोपाल कृष्ण सोमानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह मूंगफली तेल खुला को वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय कर रहा हूँ, प्रतिष्ठान/मिल में मूंगफली तेल खुला ऑयल टैंक में रखे हुये लगभग 360 किलोग्राम में से 1600 ग्राम मूंगफली तेल खुला वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु साफ व सूखे प्लास्टिक जग में खरीदा में जिसकी कीमत विक्रेता गोपाल कृष्ण सोमानी को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से रु0 218/- अक्षरे दौ सौ अठारह रुपये मात्र नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा व चयनशुदा 1600 ग्राम मूंगफली तेल खुला को गोपाल कृष्ण सोमानी एवं गवाहान को दिखाकर उक्त को नियमानुसार एक साफ व सूखे प्लास्टिक के जग में तुलवाकर चार अलग-अलग साफ व सूखी काँच की शीशियों में 200-400 ग्राम भरकर, शीशियों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक AM-1220 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया



प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता गोपाल कृष्ण सोमानी तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ. चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नंबर AM-1220 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया. प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे गोपाल कृष्ण सोमानी ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये मोके पर तैयार सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लिये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया, दो फार्म सं. 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को नमूना का एक तैयार शुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया व शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं 6 की एक प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा करवाने हेतु तैयार किये एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा करवाया एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने रोशनलाल सहायक कर्मचारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 28.10.2020 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाने हेतु भेजा गया एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष 2 भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 28.10.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4492 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल0एस0/204/एक्ट/2020/213 दिनांक

28.10.2020 के अनुसार एफ.बी.ओ गोपाल कृष्ण सोमानी से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया मूंगफली तेल खुला एफ.एस.एस.ए.की धारा 3(i)(zx) का उल्लंघन करने के कारण अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। जिसकी जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन साथ संलग्न है, जिसकी सूचना गोपाल कृष्ण सोमानी पुत्र रमेश कुमार सोमानी एफ.बी.ओ. मैसर्स गोपाल ऑयल इण्डस्ट्रीज रीको क्षेत्र निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ को मय रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी थी, जिसकी रजिस्ट्री रसीद न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। गोपाल कृष्ण सोमानी पुत्र रमेश कुमार सोमानी एफ.बी.ओ. मैसर्स गोपाल ऑयल इण्डस्ट्रीज रीको क्षेत्र निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ने समयावधि में धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूना पुनः जाँच करवाने हेतु अपील आवेदन किया, अपील पर नियमानुसार विचार कर नमूना पुनः जांच करवाने हेतु निदेशक रेफरल फूड लैब मैसूर भिजवाया गया, अपील आवेदन व भिजवाये गये डी.डी.व मेमोरेण्डम की प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। निदेशक रेफरल फूड लैब मैसूर की जांच रिपोर्ट क्रमांक एफटी/एक्यूसीएल/एफ.एस.एस.ए/146 एफ/2021 दिनांक 18.03.2021 के अनुसार उक्त नमूना एफ.एस.एस. ए की धारा 3(1)(zx) के उल्लंघन के कारण अवमानक (Sub-Standard) पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य है, जिसकी सूचना गोपाल कृष्ण सोमानी पुत्र रमेश कुमार सोमानी एफ.बी.ओ. मैसर्स गोपाल ऑयल इण्डस्ट्रीज रीको क्षेत्र निम्बाहेडा चित्तौड़गढ़ राज. को मय रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी थी, जिसकी रजिस्ट्री रसीद न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित अनुसंधान पूर्ण होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ के समक्ष न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन स्वीकृति चाहने बाबत दिनांक 12.04.2021 को पत्रावली प्रस्तुत की, अभिहित अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 की धारा 36 की उप धारा 3 (ड) के तहत समस्त पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/1590 दिनांक 15.04.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण में अंकित अभियुक्तों के विरुद्ध न्याय निर्णयन आवेदन न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष पेश/प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्तों ने मूंगफली तेल खुला को अवमानक (Sub-Standard) स्तर का बनाकर विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन प्रस्तुत कर दिया



गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवार के के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 मदनलाल गूजर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक, गवाह संख्या 2 मोहनलाल पिता हेमराज मीणा निवासी सांपलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ 3 शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ पेश किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवार के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

1. अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी अभियोजन स्वीकृति दिनांक 15.04.2021
2. अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रेषित पत्र दिनांक 12.04.2021
3. गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011
4. पदस्थापन आदेश दिनांक 10.08.2011
5. कार्यक्षेत्र आवंटन आदेश दिनांक 11.04.2012
6. दीपावली त्यौहार के अवसर पर शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत जिला चित्तौड़गढ़ के कार्यक्षेत्र आवंटन आदेश दिनांक 21.10.2020
7. दीपावली त्यौहार के अवसर पर शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत जिला चित्तौड़गढ़ हेतु गठित दल के कार्यक्षेत्र आवंटन आदेश दिनांक 21.10.2020
8. जिला टोंक से जिला चित्तौड़गढ़ हेतु कार्यमुक्त आदेश दिनांक 23.10.2020
9. अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत किये गये आदेश दिनांक 27.10.2020
10. नमूना क्रय रसीद मूल दिनांक 27.10.2020
11. फार्म न0 5 ए मूल दिनांक 27.10.2020
12. फर्द रिपोर्ट मूल दिनांक 27.10.2020
13. मैसर्स गोपाल ऑलय इण्डस्ट्रीज निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ के खाद्य अनुज्ञापत्र की छायाप्रति दिनांक 04.04.2019
14. एफ.बी.ओ. गोपाल कृष्ण सोमानी के आधार कार्ड की छायाप्रति।
15. फार्म नंबर 6 की मूल प्रति दिनांक 27.10.2020
16. खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर में नमूना जमा की प्राप्ति रसीद दिनांक 28.10.2020



17. अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के द्वितीय तृतीय व चौथा भाग की प्राप्ति रसीद दिनांक 28.10.2020
18. खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की खाद्य नमूना जांच रिपोर्ट नमूना संख्या AM-1220 मूल प्रति दिनांक 28.10.2020
19. अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी व संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं को जांच रिपोर्ट की प्रति व धारा 46 के तहत पुनः अपील बाबत अग्रोषण पत्र दिनांक 02.11.2020
20. गोपाल कृष्ण सोमानी एफ.बी.ओ. मैसर्स गोपाल ऑयल इण्डस्ट्रीज निम्बाहेडा चित्तौड़गढ़ द्वारा नमूना पुनः जांच हेतु अपील प्रार्थना पत्र मय फार्म नंबर 8 व डी.डी. दिनांक 04.01.2021
21. अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा रेफरल खाद्य प्रयोगशाला में जांच कराने बाबत प्रेषित सूचना पत्र दिनांक 11.01.2021
22. निदेशक रेफरल खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट दिनांक 18.03.2021
23. अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी व संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता को नमूना पुनः जांच रिपोर्ट बाबत अग्रोषण पत्र दिनांक 01.04.2021

उक्त समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 25.05.2021 को अप्रार्थी हाजिर आया एवं जवाब परिवाद पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही की गई है उसमें खाद्य पदार्थ जो जांच में सब-स्टैंडर्ड पाया गया है। अप्रार्थी के पूर्व में किसी भी जांच में खाद्य पदार्थ पूर्ण गुणवत्तापूर्ण पाये गये। यह प्रथम जांच है जिसमें अप्रार्थी का खाद्य पदार्थ सब-स्टैंडर्ड पाया गया है। अप्रार्थी की आजीविका को एकमात्र साधन उक्त व्यवसाय ही है एवं अप्रार्थी छोटा व्यापारी है इसके साथ ही अप्रार्थी का प्रथम दोष है अतः अप्रार्थी को माफ कराया जावे। अप्रार्थी न्यायालय के समक्ष अपनी वचनबद्धता देता है कि अप्रार्थी भविष्य में नियमानुसार एवं विधि अनुसार कार्यवाही कर अपना व्यवसाय करेगा। अतः जवाब कार्यवाही प्रस्तुत कर निवेदन है कि लोक अदालत की भावना से अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे। जवाब परिवाद स्वीकार शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। हाजिर अप्रार्थी ने प्रकरण को निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की इस पर हाजिर



अप्रार्थी को सुना गया। हमने पत्रावली को बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना किये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 10 से 12 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 11 एवं 10 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल खुला का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 10 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 12 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 27.10.2020 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 12 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 27.10.2020 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मूंगफली तेल खुला जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-1220 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 53 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 15 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक रोशनलाल के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक AM-1220 मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 16 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 10 का अवलोकन किया जिससे से जाहिर होता है कि पत्रवाहक रोशनलाल द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 01.11.2020 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 17 का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 19 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2020/4492 दिनांक 02.11.2020 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या LS 204/ACT/2020/213 Dated 28-10-2020 की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट LS 204/ACT/2020/213 Dated 28-10-2020 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :-

Report LS 204/ACT/2020/213 Dated 28-10-2020

Certified that I RAVI SETHI duly appointed as under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Dr. Madan Lal Gujar Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Groundnut Oil (Loose) bearing code no. and serial no. AM- 1220 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh on 28.10.2020 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 53 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.

I found the sample to be Fat, oils, and fat emulsion falling under Regulation No. 2.2.1.3 (Groundnut Oil) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 28.10.2020 to 28.10.2020 and the result of its analysis is given below-

ANALYSIS REPORT -

(i) Sample description:- The sample packed in wide mouth glass jar.

(ii) Physical appearance:- The sample is clear, free from separated water and suspended matter.

(iii) Label :- No brand name loose sample of Groundnut oil taken from manufacturing unit as per form no. vi

Opinion:- The sample of Groundnut Oil (Loose) Bearing code no. and serial no. AM- 1220 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh Is sub-standard as Butyrorefractometer reading at 40°C, Saponification value, Iodine value & Bellier Turbidity temperature test are does not meet as per the prescribed standards & Provisions as per Food Safety and Standards(food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006.



खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदनलाल गूजर द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 53 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 28.10.2020 को जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि Fat, oils, and fat emulsion falling under Regulation No. 2.2.1.3 (Groundnut Oil) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011., एवं The sample of Groundnut Oil (Loose) Bearing code no. and serial no. AM- 1220 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh Is sub-standard as Butyrorefractometer reading at 40°C, Saponification value, Iodine value & Bellier Turbidity temperature test are does not meet as per the prescribed standards & Provisions as per Food Safety and Standards(food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006. उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-1220 मूंगफली तेल खुला खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत अवमानक स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट विपक्षी को पत्रांक/एफएसएसए/2020/4492 दिनांक 02.11.2020 से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। इस पर अप्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप में दस्तावेज क्रमांक 21 से नमूना को रेफरल प्रयोगशाला में जांच हेतु अपील प्रस्तुत की गई। उक्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। इस पर अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा नमूना रेफरल प्रयोगशाला, मैसूर को वास्ते जाँच हेतु प्रेषित किया गया। इस पर निदेशक रेफरल प्रयोगशाला, मैसूर द्वारा नमूना जांच रिपोर्ट प्रमाण पत्र संख्या 146F/FSSA/2021 दिनांक 18.03.2021 जारी किया गया।

हमने निदेशक रेफरल प्रयोगशाला, मैसूर के प्रमाण पत्र संख्या 146F/FSSA/2021 दिनांक 18.03.2021 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। निदेशक रेफरल प्रयोगशाला, मैसूर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :-

Certificate No. 146F/FSSA/2021 Dated 18-03-2021

Certified that the sample, bearing number CODE- AM-1220 purporting to be a sample of MUNGPHALI KA TEL was received on 25.01.2021 with memorandum No. FSSA/2021/212 dated 12.01.2021 from THE DESIGNATED OFFICER (FOOD SAFETY) AND CMHO, O/O THE



CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER, SWASTHYA BHAWAN, OLD MAHILA & BAL HOSPITAL, OPPOSITE SBI BANK, CHITTORGARH, RAJASTHAN - 312 001 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:
Intact and unbroken.

I, Dr. Asha Martin found the sample to be Groundnut Oil falling under Regulation No. 2.2.1.3 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed during 29.01.2021 to 18.03.2021 and the result of its analysis is given below:

Analysis Report:

- (i) Sample Description: Packed in a subsampled glass bottle without label declaration.
- (ii) Physical Appearance: Brown in colour and clear oil. Free from suspended matter and separated water.
- (iii) Label: Nil

Opinion: And I am of the opinion that the sample "Substandard" as defined under Section 3(1) (zx) of Food Safety and Standards Act, 2006 as it does not conform to the standards laid down for Groundnut Oil under the provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 thereof, in that:

- a) Saponification value falls below the minimum standard limit
- b) Iodine value exceeds the maximum standard limit and
- c) Peroxide value exceeds the maximum standard limit

निदेशक रेफरल प्रयोगशाला, मैसूर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदनलाल गूजर द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 53 से सील अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 29.01.2021 से 18.03.2021 तक को जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में निदेशक रेफरल प्रयोगशाला, मैसूर द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **Groundnut Oil falling under Regulation No. 2.2.1.3 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011., एवं the sample "Substandard" as defined under Section 3(1) (zx) of Food Safety and Standards Act, 2006 as it does not conform to the standards laid down for Groundnut Oil under the provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011.** उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1220** मूंगफली तेल खुला खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत अवमानक स्तर का पाया गया है। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2021/1590 दिनांक 15.04.2021 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की



अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 1 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। अप्रार्थी द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को स्वीकार किया है एवं यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थों के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :-

25. All imports of articles of food to be subject to this Act.

(1) No person shall import into India –

- (i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;
- (ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and
- (iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

26. Responsibilities of the Food business operator.

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.

(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

- (i) which is unsafe; or
- (ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or
- (iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or



- (iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or
 - (v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.
- (3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.
- (4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.
- (5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers

- (1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.
- (2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is—
 - (a) Supplied after the date of its expiry; or
 - (b) Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or
 - (c) Unsafe or misbranded; or
 - (d) Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or
 - (e) Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or
 - (f) received by him with knowledge of being unsafe.
- (2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is –
 - (a) sold after the date of its expiry; or
 - (b) handled or kept in unhygienic conditions; or
 - (c) misbranded; or
 - (d) unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or
 - (e) received by him with knowledge of being unsafe.

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा इसकी जांच नहीं कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक



अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी गोपाल कृष्ण सोमानी पुत्र रमेश कुमार सोमानी (विक्रेता/मालिक) मैसर्स गोपाल ऑयल इण्डस्ट्रीज, रीको औद्योगिक क्षेत्र, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज. स्थाई निवासी 225, आदर्श कालोनी, छत्रपति शिवाजी उद्यान के सामने निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) पिनकोड- 312601 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार-

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

- (a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
- (b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
- (c) The repetitive nature of the contravention,
- (d) Whether the contravention is without his knowledge, and
- (e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.

Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.



विपक्षी की दोष सिद्धि घोषित की गई है, जिससे अर्थदण्ड विपक्षी को किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त श्री अजय प्रसाद मून्दडा पुत्र शिव नारायण मून्दडा एफ.बी.ओ./मालिक मैसर्स श्री गोपाल कृष्ण सोमानी पुत्र रमेश कुमार सोमानी (विक्रेता/मालिक) मैसर्स गोपाल ऑयल इण्डस्ट्रीज, रीको औद्योगिक क्षेत्र, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज. स्थाई निवासी 225, आदर्श कालोनी, छत्रपति शिवाजी उद्यान के सामने निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) पिनकोड- 312601 को रूपये 20000/- अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नहीं कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत शास्ति राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 25.05.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़